

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमाराम,आर.ए.एस.
राजस्ववाद संख्या :- 111/2014
वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. खेताराम पुत्र भारूराम जाति जाट
निवासी नई कमठाई तहसील
सिणधरी, बाड़मेर

1. खेता पुत्र चोला
2. मेहरा पुत्र मेहा
3. तीजो पत्नी मेहा
4. रूपो पुत्री खरथा
5. हीरा पुत्र चोला
6. देदा पुत्र चोला
7. रतना पुत्र लच्छा
8. आदू पुत्र लच्छा
9. मिरगो पत्नी हेमा
10. देवा पुत्र हेमा जाति जाट निवासी
पीपराला तहसील सिणधरी, बाड़मेर
11. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधि
भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री अमराराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित
2. प्रतिवादी एकरतफा

निर्णय

दिनांक- 20.10.2022

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा पीपराला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 80 व 81 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 24.05.2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।


तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।


सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी


लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा पीपराला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 80 व 81 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	ख.स.	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि	बरंग
1	खेताराम पुत्र भारूराम जाति जाट सा. नई कमठाई	पीपराला	80	00-06	गै.मु.डा.	हरा
			81	34-07	बा. सो.	
			81	10-00	बा. सो.	
		कुल रकबा		44-13		
2	खेता पुत्र चोला मेहरा पुत्र मेहा तीजो पत्नी मेहा रूपो पुत्री खरथा हीरा पुत्र चोला देदा पुत्र चोला 1/2 रतना पुत्र लच्छा आदु पुत्र लच्छा मिरगो पत्नी हेमा देवा पुत्र हेमा 1/2 हि. कौम जाट सा. देह	पीपराला	81	17-17	बा. सो.	केसरिया
			81	71-10	बा. सो.	
			कुल रकबा		89-07	

तहसीलदार,सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी